नदियों का बचाव

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

18 सितम्बर, 2018

द हिन्दू

''पहले चरण के रूप में, सभी नदियों के साथ उपचार संयंत्रों की क्षमता को तत्काल विस्तारित किया जाना चाहिए।''

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में गंभीर रूप से प्रदूषित नदियों की संख्या दो साल पहले 302 से 351 हो गई है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार विभागों द्वारा बरती गयी लापरवाही को दर्शाता है।

आंकड़ों से पता चलता है कि अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने और पानी की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए लागू कानून पर्याप्त रूप से काम नहीं कर रही हैं।

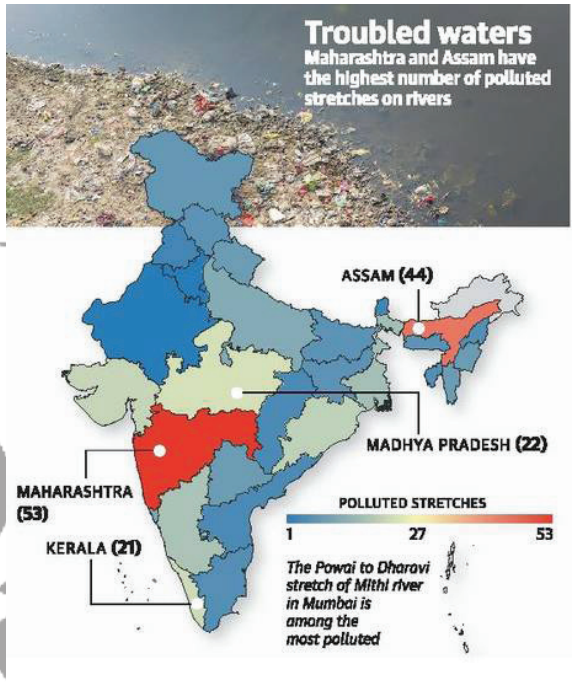

इस अध्ययन में नदी संरक्षण, आर्द्रभूमि के संरक्षण और जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा संचालित कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों की विफलता को भी रेखांकित किया गया है।

गंगा नदी के पानी पर किये गये परीक्षण से संकेत मिलता है कि यह उत्तर प्रदेश में बेहतर है। देखा जाये तो, नदी के लिए स्वच्छ-सफाई योजना को 14 नदियों को बचाने के लिए 14 राज्यों को दिए गए 351 करोड़ रुपये की तुलना में साढ़े तीन वर्षों में ₹ 3,696 करोड़ रुपये के केंद्रीय वित्त पोषण को समर्पित किया गया है।

महाराष्ट्र, गुजरात और असम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के असफल प्रयास सबके सामने हैं, जो कि प्रदूषित नदी खंडों का एक तिहाई हिस्सा है। नदियों के नजदीक स्थित शहरों और कस्बों में व्याप्त गरीब बुनियादी ढांचे से उनकी समस्याएं और बदतर हो गयी हैं।

यह उल्लेखनीय है कि ये परिणाम राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के उदाहरण पर किए गए सीपीसीबी ऑडिट से हैं। आदर्श रूप से, अब बोर्ड प्रदूषण पर अधिक रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन इन्हें सीवेज तथा औद्योगिक प्रदूषण से शुरू होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से गहन उपायों का पालन करना चाहिए।

सीवेज के प्रबंधन के लिए सभी शहरी समूहों के लिए उपचार संयंत्रों को स्थिर निधि और बेहतर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है, जो नदियों में अपना अपशिष्ट निर्वहन करते हैं।

सीवरेज के बीच घाटा और प्रदूषित हिस्सों के साथ उत्पन्न मात्रा का अनुमान पिछले साल सीपीसीबी ने 13,196 मिलियन लीटर प्रति दिन लगाया था। इसके अलावा, शहरीकरण का अंतर तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि बुनियादी ढांचा योजना आवास वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही है।

इसके अलावा, एसपीसीबी और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा कानूनों के प्रवर्तन के लिए कम प्राथमिकता के साथ- जो कुछ ऐसा है जिसमें बदलाव जल्दी संभव नहीं है - तत्काल योजना उपचार संयंत्रों की आपूर्ति का विस्तार करना चाहिए।

इसके साथ ही सरकारों पर सशक्त नागरिक समाज का दबाव होना भी आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस प्रकिया को समय-समय पर दोहराया जाएगा।

औद्योगिक पक्ष के सन्दर्भ में, कपड़ों और चमड़े के कारखानों से निकलने वाले सभी तरल प्रदूषण को शून्य करने की योजना का जोरदार ढंग से पालन किया जाना चाहिए, जिससे उद्योगों को अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए सर्वोत्तम तकनीकों का चयन करने में मदद मिल सके है।

भारत में समाप्ति के कागार पर पहुँच चुकी नदियों को पुनर्जीवित करने, अपने कृषि की रक्षा करने और प्रदूषित पानी द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य को पहुँच रहे गंभीर नुकसान का निपटान करने के लिए इन उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

वर्ष 2013 में विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार पर्यावरणीय कमी भारत में कम से कम 80 अरब डॉलर के नुकसान का कारण बनती है, जिसमें से नदियों को पहुँचने वाला नुकसान महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। यह वास्तव में विनाशकारी आयामों की एक गंभीर समस्या है।

* * *

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्या है?

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर, 1974 में किया गया था।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गये।
- यह क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध करता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में व्यक्त किये गये हैं।

उद्देश्य-

- जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में कुओं और सरिताओं की स्वच्छता को सुधारना तथा देश में वायु प्रदूषण के निराकरण अथवा नियंत्रण, निवारण के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार लाना।
- वायु गुणवत्ता प्रबोधन वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है।
- यह औद्योगिक स्थापना तथा शहरों की योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की पृष्ठभूमि भी उपलब्ध कराता है।
- इसके अलावा केन्द्रीय बोर्ड का नई दिल्ली स्थित एक स्वचालित प्रबोधन केंद्र भी है।
- इस केंद्र पर श्वसन निलंबित व्यक्ति कण, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा निलंबित विविक्त कण भी नियमित रूप से प्रबोधित किये जा रहे हैं।

संगठनात्मक संरचना

- बोर्ड में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जिसे पर्यावरणीय संरक्षण से सम्बद्ध मामलों में विशेष ज्ञान या अनुभव हो या ऐसा व्यक्ति जिसे उपरिलिखित मामलों के साथ संस्था के प्रशासनिक कार्यों का ज्ञान या अनुभव हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- पांच से अनाधिक सदस्य केंद्र सरकार द्वारा, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले, नामित किए जाते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्य बोडों में से पांच से अनाधिक सदस्य नामित किए जाते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा कृषि, मत्स्य या उद्योग या व्यापार या अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन से अनाधिक गैर-सरकारी सदस्यों को नामित किया जाता है।
- केंद्र सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन वाले निगमों एवं कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव जिसे प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी या प्रबंधन पहलुओं की योग्यता, ज्ञान एवं अनुभव हो।

कार्य

- भारत सरकार को जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी विषय में परामर्श देना।
- जल तथा वायुप्रदूषण की रोकथाम अथवा निवारण एवं नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना तैयार करना तथा उसे निष्पादित कराना।
- राज्य बोर्डों की गतिविधियों का समन्वयन करना तथा उनके बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाना।
- जल तथा वायुप्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण अथवा उपशमन के कार्यक्रम में संलग्न व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना तथा योजनाएं तैयार करना।
- जल तथा वायु प्रदूषण तथा उनके निवारण तथा नियंत्रण से संबंधित मामलों में सूचना का प्रसार करना।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये अन्य कार्य निष्पादित करना।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में नदियों के पुनर्उद्धार हेतु कौन-कौन से उपाय मद्दगार हो सकते हैं?

1. तरल प्रदूषण शून्य योजना
2. नागरिक समाज की दबावपूर्ण भूमिका
3. कानूनों का उपयुक्त प्रवर्तन
4. बुनियादी ढाँचा का संतुलित अनुपात

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें-

(a) 1, 2 और 4
(b) 2, 3 और 4
(c) 2 और 4
(d) उपरोक्त सभी

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सरकारी प्रयासों से प्रदूषित नदियों की संख्या कम हुई है।
2. अवशिष्ट प्रबंधन कानून प्रभावी रूप से लागू हुई।,
3. पानी की गुणवत्ता हेतु कानून प्रभावी रूप से लागू नहीं हुई।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2
(b) केवल 3
(c) 2 और 3
(d) उपरोक्त सभी

3. निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रदूषण निवारण में सफलता हासिल किया हैं?

1. महाराष्ट्र
2. गुजरात
3. असम

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें-

(a) केवल 2
(b) 1 और 2
(c) 2 और 3
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

1. Which of the folloiwng measures would be helpful in rejuvenation of rivers in India?

1. Zero liquid pollution scheme.
2. Operessive role of Civil Society.
3. Effective enforcement of law.
4. Balanced proportion of basic structure.

Choose the correct answer using the code given below-

(a) 1, 2 and 4
(b) 2, 3 and 4
(c) 2 and 4
(d) All of the above

2. Consider the following statements-

1. Number of polluted rivers have decreased due to government efforts.
2. Waste managements laws have been implemented effectively.
3. Laws for quality water have not been effectively implemented.

Which of the above statements is/are corrent?

(a) 1 and 2
(b) Only 3
(c) 2 and 3
(d) All of the above

3. Which of the following states have been successful in redressing pollution?

1. Maharastra
2. Gujarat
3. Assam

Choose the correct answer using the code given below-

(a) Only 2
(b) 1 and 2
(c) 2 and 3
(d) None of these

नोट :
17 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''भारत में नदियों का पुनर्उद्धार एक दिवास्वपन है।'' उपरोक्त कथन के संदर्भ में नदियों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द)

"Rejuvenation of rivers in India is a day dream." In the reference of this statement of highlight the present situation of rivers. (250 Words)